उन के बारे में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने रिपोर्ट नहीं दी है कि देश भर में कितने काम कर रहे हैं और उन की उत्पादन क्षमता क्या है, लेकिन फिर भी जो हमारे मंत्रालय ने हिसाब लगाया है उस के अनुसार करीब 7 या 8 लघु उद्योग देश भर में काम कर रहे हैं जिन के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है ? लेकिन आयुक्त ने और बम्बई की एक कम्पनी ने शिकायत की थी कि अगर एच ओ सी खुद ही पी एन पी तैयार करने लगेगा तो लघु उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं मिल पाएगा । इस के बारे में एच ओ सी ने हमारे मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि पहले लघु उद्योग की आवश्यकता को पूरा कर लिया जाएगा, उस के बाद एच ओ सी अपनी जरूरत के लिए पैदा करेगा ।

SHRI D. D. DESAI: When the basic raw material producer starts manufacturing the end products utilizing that raw material, he invariably charges higher prices for his products which are the raw materials for the subsequent units, and thus eliminates competition.

श्री हुक्म देव नारायण यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब पैरा नाइट्रो फेनाल का उत्पादन लघु उद्योग के जरिए होता है और इस की जो मांग है वह पूरी न करने के कारण बड़े उद्योग से करेंगे तो प्रश्न यह पैदा होगा कि बड़े उद्योगों के द्वारा उत्पादित माल की कीमत बाजार में कम पड़ेगी और लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की कीमत ज्यादा होगी । इसका असर यह होगा कि जो भी लघु उद्योग अभी हैं वे सारे के सारे बन्द हो जायेंगे और वे सभी सिमट कर वृहद उद्योग में चले जायेंगे । तो क्या सरकार की दृष्टि इस ओर है या नहीं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगों के उत्पान को रोक कर ज्यादा लघु उद्योग स्थापित किये जायें जिससे कि वे देश की मांग को पूरा कर सकें ?

श्री जनेश्वर मिश्र : एच ओ सी जो पी एन पी तैयार करेगा उसका लघु उद्योगों के मुकाबले में दाम पर क्या फर्क पड़ेगा इसका अन्तिम रूप से हिसाब नहीं लगाया जा सका है लेकिन हम समझते हैं कि दोनों का दाम लगभग बराबर पड़ेगा । लेकिन इसमें मुख्य दिक्कत जो है वह यह है कि जो इसमें एफलुएन्ट्स निकलते हैं,जिनसे जल प्रदूषण होता है, उसको रोक पाने में लघु उद्योग असमर्थ है । इसलिए जरूरी है कि किसी बड़े उद्योग में पी एन पी तैयार किया जाये क्योंकि जल प्रदूषण को रोकने में बड़े उद्योग ही सक्षम होते हैं ।

Expansion of capacity by Chhatisgarh Distillery at Bhilai, Madhya Pradesh

*933. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the present contractor of Chhatisgarh Distillery at Bhilai, Madhya Pradesh, has recently, expanded its sanctioned capacity of fifteen lakhs of proof litres of the country spirit to twenty-five lakhs litres inspite of the ban of Government for any such expansion of the Distilleries of Government;

(b) whether this was done without obtaining the administrative approval of Government regarding estimates of the plants, machineries, building and other equipments and invitation of tenders for rates, offers etc., for the same;

(c) whether the Excise Commissioner, Gwalior Madhya Pradesh, intimated the Government that the lease of three years of Chhatisgarh Distillery was due to expire in April, 1978 for inviting fresh tenders;

(d) if the answers to (a), (b) and (c) above are in the affirmative how the contractor of Chhatisgarh Distillery could have expanded its capacity; and

(e) action proposed to be taken against the persons who have violated the rules?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) छतीसगढ़ डिस्टिलरी को, जो मध्य प्रदेश सरकार की है और एक ठेकेदार द्वारा चलाई जाती है, राज्य सरकार द्वारा 25-3-77 को देसी शराब के निर्माण में 10 लाख प्रूफ लिटर की अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी गई थी। बशर्ते कि डिस्टीलरी 49 से अधिक श्रमिकों को काम पर न लगाये। विस्तार की यह अनुमति राज्य सरकार ने अपने अधिकारों के अन्तर्गत दी थी क्योंकि 50 से कम श्रमिकों वाली डिस्टिलरी पर औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते।

(ख) से (घ). ये मामले मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भारत सिंह चौहान : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें सारा दायित्व राज्य सरकार पर डाल दिया है लेकिन केन्द्रीय सरकार की प्रोहिबिशन के सिलसिले में जो नीति है और जो 12 प्वाइन्ट तय किए गए हैं उनके अन्तर्गत स्पष्ट निर्देशन है कि अलकोहल की कैपेसिटी न बढ़ाई जाये फैक्टरीज में लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया है तो मैं जानना चाहता हूं प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में क्या केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्ध अलग-अलग हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : प्रोहिबिशन का जो सवाल है वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का अलग-अलग नहीं है लेकिन अगर किसी डिस्टिलरी में 50 से कम वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पर केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कानून के मुताबिक वह विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का विषय हो जाता है। इसलिए अगर यह सवाल पार्लियामेन्ट में होने से पहले मध्य प्रदेश असेम्बली में किया जाता तो ज्यादा तर्कसंगत होता।

श्री भारत सिंह चौहान : प्रोहिबिशन राज्य सरकारों के सहयोग से और केन्द्रीय सरकार के निर्देशन से कामयाब हो—यह एक स्पष्ट नीति है। ऐसी स्थिति में शराब का उत्पादन 15 लाख लीटर से बढ़ाकर 25 लाख लीटर कर दिया गया—क्या यह निर्णय प्रोहिबिशन की नीति के विरुद्ध नहीं आता है और इससे उसको एनकरेजमेन्ट नहीं मिलता है ? 12 प्वाइन्ट में यह स्पष्ट है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसको डिसकरेज किया जाये, मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। सरकार ने बैन लगाया हुआ है फिर भी अगर स्टेट्स में इस तरह की छूट दी जायेगी तो क्या उसका प्रोहिबिशन पर असर नहीं पड़ेगा ? प्रोहिबिशन के लिए जो 12 प्वाइन्ट हैं उसको एनफोर्स करने के लिए, उसके विपरीत यह कैपेसिटी बढ़ाई गई है तो केन्द्रीय सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अब भी हम जानते हैं कि नशाबंदी के बारे में भारत सरकार की जो नीति है वह देश भर में

जानी होनी चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश सरकार के तहत आती है और उस पर हमारा कोई हक नहीं है इसलिए हम अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।

SHRI K. LAKKAPPA: This is a matter concerning a contractor of Chattisgarh distillery who was allowed to increase the capacity by 10 lakh litres in spite of the ban by Government on any such expansion. There is a ban that has been imposed by the Government of India. So, I would like to know the persons and interests involved in this and whether this party has been favoured by the Excise Commissioner in collusion with the Ministry of Madhya Pradesh, flouting the direction of the Central Government and your Ministry. Will you kindly conduct or order an enquiry into this because it will cut across even the policy announced by the Government of India regarding prohibition. The Prime Minister is here. Will you kindly consider the whole episode as a certain Minister in Madhya Pradesh is involved in it in collusion with the Excise Commissioner?

MR. SPEAKER: It was increased in 1977.

SHRI K. LAKKAPPA: But extension was approved in April. It was not done by the previous Government. Therefore, I would like to know why the present State Government has flouted the Central Government's direction. Will you kindly take action in this matter?

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने केवल सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार अपनी नीति के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दे कि इस तरह का परमिट न दिया जाए लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की डिस्टीलरी विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश सरकार के तहत आती है और उस पर हम किसी भी किस्म का दबाव अपनी तरफ से नहीं डाल सकते ।

SHRI K. LAKKAPPA: See how shabbily this hon. Minister is answering.

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है, वह केवल टेकनिकल जवाब है । प्रोहीबिशन पालिसी, सेन्टल, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के सहयोग से ही चल रही है । एक तरफ तो आप उस की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और उस को डेवलप कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों की जो डिस्टीलरीज हैं, वहां पर भी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है और उसके लिए प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रोहीबिशन की बात कही जा रही है । तो माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी भी क्या इस सदन को विश्वास दिलाएंगे कि आयन्दा वे राज्य सरकारों को यह सुझाव देंगे कि डिस्टीलरीज की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी और कोई नई डिस्टीलरी नहीं खोली जाएगी और इस के बारे में जो एडवरटाइजमेंटस होते हैं उन पर भी पाबन्दी लगेगी । इस के अलावा जो मौजूदा डिस्टीलरीज हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता और दूसरी चीजों की तरफ डाइवरसीफाई किया जाएगा ।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़, की जो यह शराब की भट्टी है, इस का लाइसेन्स सन् 1975 में दिया गया है । वहां एक ठेकेदार था.....

SHRI K. LAKKAPPA: You please come to April, 1978.

श्री जनेश्वर मिश्र : आप बात तो सुनें । वह बिल्डिंग तो मध्य प्रदेश सरकार की थी लेकिन एक प्राइवेट ठेकेदार को वहां पर शराब बनाने के लिए लाइसेन्स दिया गया था । मार्च 1977 में इस डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता दस लाख प्रूफ लीटर्स से बनाने की अनुमति मध्य

प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने दी। उस समय वहां हम लोगों की सरकार नहीं बनी थी। बेहतर होता कि इसको विस्तार के साथ मध्य प्रदेश सरकार.... (व्यवधान)

SHRI KANWARLAL GUPTA: Will Government assure this House that the capacity of this distillery will not be increased and that no new distillery will be opened?

MR. SPEAKER: I thought I had not called you to put a second supplementary.

श्री जनेश्वर मिश्र : देश में शराब के प्रयोग पर रोक लगाने को निश्चित तौर पर सरकार का विचार है। इसके लिए मैं इस सदन में भी यह आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं भी शराब की बिक्री और उसके इस्तेमाल में बढ़ोतरी होती देखी जाएगी, सरकार अपनी ताकत से उस पर रोक लगायेगी।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Are you satisfied with the answer? If you are satisfied, I will sit down.

MR. SPEAKER: I have allowed him to explain second time also.

SHRI KANWARLAL GUPTA: My question was: whether he will assure the House that no new distillery will be opened and no increase in capacity will be allowed by the State Governments.

MR. SPEAKER: How can he give an assurance on behalf of the State Governments.

SHRI KANWARLAL GUPTA: He can recommend to the State Government.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): It is being taken up with the State Governments to see that the implementation of the prohibition policy is not in any way jeopardised.

श्री हुकम चन्द कछवाय : प्रधान मन्त्री जी ने अनेक बार देश की जनता का आह्वान किया है कि देश में शराबबन्दी जरूरी है। जब प्रधान मन्त्री जी की यह भावना है तो इस भावना को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि देश में शराब की दुकानों के लायसेंस बढ़ाये जा रहे हैं, अधिक दुकानें खोली जा रही हैं, नये कारखाने खोले जा रहे हैं, इनमें कोई कमी करने का भी सरकार का विचार है? यदि हां तो यह कब तक शराब का उत्पादन कम करने का विचार है?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने अभी बताया, शायद माननीय सदस्य उसको समझे नहीं। सम्मानित सदस्य मध्यप्रदेश से आये है। वे क्यों नहीं वहां दबाव डालते है? हम उनका समर्थन करेंगे। हमने यह सवाल सभी प्रदेश सरकारों के साथ उठाया है कि यह नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे शक नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें हिम्मत करेंगी।

DR. SUSHILA NAYAR: It is clearly mentioned in the guidelines given to the State Governments by the Government of India that no further addition to the production capacity will be allowed, no new distilleries will be allowed and no new liquor shops will be allowed. So, I want to know from the hon. Prime Minister or the Minister for Petro-Chemicals; how can the Government allow flagrant breach of the clearcut instructions that have been issued, in respect of this contract which expired and which has been renewed in April, 1978? From 15 lakh litres, the capacity has been increased to 25 lakh litres. This is just putting dust in our eyes. We want a clearcut

assurance that this increased capacity will be cancelled.

SHRI MORARJI DESAI: I have already stated the position. But it is for the State Governments to pass the orders and take decisions. We can only go on persuading them to do it. That is what we are doing. I am quite sure that the States will be persuaded to see reason in this matter and the matter will be solved. But I cannot give a clear-cut assurance today. That is not possible.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: In addition to committing flagrant violation of the directions of the Government of India, there is a much more serious thing involved here. They have not followed the proper procedure in extending—the contract from 1978. The hon. Minister in his reply said that it was the Congress Government which did it. If it was the Congress Government which had committed a mistake in 1975 while sanctioning 15 lakh litres, today it is the Janata Government which has extended the contract and given a contract of 25 lakh litres without the proper procedure and formalities. It is a serious thing. I hope, the Government of India will take notice of it. Will the hon. Minister assure the House that he will inquire into this matter and come to this House with a report and take action against the officials concerned?

MR. SPEAKER: If I might recollect the Minister's reply was that 25 lakh litres was done in 1975. They have only extended the contract in 1978.

श्री जनेश्वर मिश्र : इस मामले में प्रधान मंत्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि भारत सरकार राज्यों की सरकारों को केवल समझा सकती है कि वे आगे शराब बनाने पर रोक लगाएं । राज्य सरकारों पर कोई कानूनी दबाव डालने का अधिकार अभी इस सदन ने सरकार को नहीं दिया है । इसलिए हम कोई दबाव डाल नहीं सकते है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Reducing Travelling time between Ahmedabad and Delhi

*928. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the travelling time between Ahmedabad and Delhi on direct line is almost 24 hours;

(b) if so, whether Government consider such a state of affairs satisfactory;

(c) whether Government propose to shorten the said travel time by introducing a daily super fast train with limited stoppages, thus enabling the two capital cities—Ahmedabad and Jaipur of the States of Gujarat and Rajasthan respectively—link with Delhi the capital of the country;

(d) if so, how and when; and

(e) if not, why not?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). The overall journey time by 1 Up and 2 Dn. Delhi-Ahmedabad Mail is 22.10 and 22.50 hrs. respectively.

(c) to (e). A fast train in 501/502 Pink City Express is already available between Delhi and Jaipur. Introduction of a fast train between Delhi and Ahmedabad is, at present, operationally not feasible or strained line capacity on sections enroute and lack of terminal facilities at Delhi.